The Chhattisgarh Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018

Act 24 of 2018

Keyword(s):
Karadhan, Tax

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 — आश्विन 11, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्रमांक 9696/डी. 182/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-09-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. त्रिपाठी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्र. 15 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982(क्र. 15 सन् 1982), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, वन विकास उपकर से संबंधित धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"6. व्यावृति.-धारा 6 एवं 7 का संशोधन, पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या पूर्व में किये गये किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा."

धारा 7 का विलोपन.

3. मूल अधिनियम में, धारा 7 को विलोपित किया जाये.

धारा 10 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम में, धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"10. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.**- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जायेगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा.

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्रमांक 9696/डी. 182/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-10-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. त्रिपाठी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 24 of 2018)

THE CHHATTISGARH KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

An Act further to amend the Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982), (hereinafter referred to as the Principal Act), for Section 6 relating to Forest Development Cess, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 6.**

"**6. Saving.**- The amendment of Section 6 and 7 shall not affect the validity, invalidity effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand or any indemnity already granted or the proof or any act or thing."

3. In the Principal Act, Section 7 shall be omitted. **Omission of Section 7.**

4. In the Principal Act, for Section 10, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 10.**

" **10. Power to Remove difficuttles.-**

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of State."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.